न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 48/2018
GCMS CASE NO-2018/00031

1. जान मोहम्मद पुत्र श्री ईदू खॉ जाति मुसलमान साकिन वार्ड न0 1 नया सूरतगढ तहसील सूरतगढ जरिये मुख्यतयारआम महबूब पुत्र श्री ईदू खॉ जाति मुसलमान साकिन वार्ड न0 1 सूरतगढ

–अपीलांट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. नगरपालिका सूरतगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री कमलदत्त शर्मा व रामस्वरूप तावणियां, रामप्रताप तिवाडी, कैलाश पारीक अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
3. श्री मदन भांभू रेस्पोंडेंट न0 2

:: निर्णय :: दिनांकः– 27-3-2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 05.05.2010 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 313/10 की 25.00 बीघा भूमि जरिये इंतकाल संख्या 387 स्वीकृत कर नगरपालिका सूरतगढ के नाम से दर्ज किया गया है उसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 313/10 की 25.00 बीघा भूमि दिनांक 05.07.1978 को टीसी आवंटन होकर अपीलांट के कब्जा काश्त में है। प्रतिवर्ष नवीनीकरण होकर चला आ रहा था। उत्तरवादी न0 1 ने अपीलांट के नाम के रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 313/10 के 25.00 बीघा रकबा में से 15.00 बीघा रकबा को अपीलांट के पीठ के पीछे पूर्णतय विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 03.06.2006 को टीसी खारिज कर दिया इस आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 11/2016 माननीय न्यायालय में जैरकार है। मातहत न्यायालय ने बिना कब्जा लिये ही अपीलांट के पीठ के पीछे रोही कस्बा सूरतगढ का इंतकाल संख्या 387 के द्वारा खसरा संख्या 313/10 का 11.7000 है0 रकबा उत्तरवादी न. 2 नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज कर दिया है। जो निरस्ती योग्य हैं
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलदत्त व श्री रामस्वरूप तावणियां रामप्रताप तिवाडी, कैलाश पारीक उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पोडेंट 02 की ओर से मदन भांभू हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर [illegible] गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] हुए कथन [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को [illegible] एक पक्षीय पारित किया है। [illegible] संख्या 02 का कर्मचारी दिनांक 14.06.2018 को आया [illegible] कहने लगा कि यह रकबा [illegible] नाम दर्ज हो गया है। इस रकबा को खाली कर दो। तब अपीलांट को जैर अपील आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

त जिला कलक्टर
गढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा संख्या 313/10 में 25.00 बीघा टीसी आवंटन हुआ था व इतने ही रकबे पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है व दिनांक 3.06.2006 को केवल 15.00 बीघा रकबा ही खारिज किया गया है प्रार्थी का शेष 10.00 बीघा रकबा रकबा कतई खारिज नही किया गया है। फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत रकबा अप्रार्थी संख्या न0 2 के नाम चढा दिया गया है। जैर अपील आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित हुए है जैर अपील रकबा के बारत जैर अपील आदेश से इस रकबा के खातेदारी अधिकार विधि विरूद्ध तरीके से उत्तरवादी न0 2 के नाम जारी हो सकते है इसलिये भी अपीलांट इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हकदार है।

8. प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी बहस के दौरान राजपैरोकार व अधिवक्ता नगरपालिका सूरतगढ द्वारा कथन किया कि टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए प्रा.पत्र 96 सीपीसी खारिज किया जावें।

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

10. तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 05.07.1978 को रोही कस्बा सूरतगढ में खसरा न0 313/10 में 25.00 बीघा भूमि टीसी आवंटित की गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा है जो दिनांक 30.10.1980 सम्वत 2037 दिनांक 27.6.1981 सम्वत 2038 दिनांक 19.6.82 सम्वत 2039 तक नवीनीकरण हुआ व सम्वत 2040 में लगातार रकम जमा करवाता रहा है। पटवारी हल्का ने दिनांक 12.04.2006 को रिपोर्ट में रकबा 2 किमी परिधी यानि पैराफेरी में आया कि इस आशय की रिपोर्ट दी उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.04.2006 को प्रार्थी को टीसी [illegible] दिया गया उसके पश्चात दिनांक 03.06.2006 को अपीलांट को बिना नोटि[illegible] दिये [illegible]बार आवाज लगाई गई अप्रार्थी उपस्थित नहीं अतः एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये [illegible] है एवं कब्जी बहक सरकार लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

जाने के आदेश दिये जाते है। यह कि दिनांक 4.4.2006 को अपीलांट को कोई नोटिस नहीं मिला अपीलांट की टीसी आवंटितशुदा भूमि को पैराफेरी मानकर खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को टीसी खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया एक व्यर्थ व शून्य आदेश है। ऐसे आदेश को चुनौती देने हेु कोई समय सीमा नहीं है तामील चस्पांदगी करवाने का उल्लेख किया जबकि गवाहो का पूर्ण पता ही अंकित नहीं है। तानीकर्ता ने मनमर्जी से नाम लिखवाकर चस्पांदगी का नोटिस वापिस अदालत हाजा को भेज दिया इससे सीपीसी के कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित किया गया है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा।माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की खण्डपीठ ने निर्णित किया है कि

cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment.

जैसा कि एआईआर एससीडब्ल्यू 2005 पेज 1074 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि

Disposal must be reasoned order

परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया अपीलाधीन निर्णत प्रिन्टेड फार्म है जिससे केवल प्रार्थी का नाम व भूमि का अंकन किया है बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोक किये गये पारित निर्णय निरस्त किये जाने योगय है। निगराधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकरपारित किया गया है शर्त 1955 की शर्त 6(4)के तहत तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा शर्त 19(ए) ता (इ) के तहत Determination of tenacy अभिघृति का पर्यवसन के प्रावधान किया गया है शर्त स. 19(ए) के तहत शर्त के पालना नहीं करने अथवा शर्त उल्लंघन करने पर कलक्टर को पटटा निरस्त करने की शक्ति है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 2 में कलक्टर निम्न प्रकार से परिभाषित हे।

collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and

(b) any officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है।

जैसा कि आरआरडी 1958 पेज

jurisdication order passed by court without jurisdication effect it is elamentaty principal of law that court has jurisdication over the subject matter of the litigation its judgment and order nowever.

इसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि

jurisdication order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an nullit and it is not only voidable bit void

इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 03.0[illegible] निरस्त योग्य है। यह कि विद्वान तहसीलदार ने उक्त परिपत्र को [illegible] परिपत्र दिनांक 08.02. 2006 वेस्टलैण्ड आवंटन के सम्बन्ध में [illegible] किया गया। परिपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि परिपत्र किन किन नियमों के [illegible] होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(अ) राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

(स) राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1958 परिपत्र में स्पष्ट परिपत्र केवल उक्त भूमियों पर लागू होगा। प्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि का आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं किया गया है इसलिए परिपत्र 08.02.2006 के प्रावधान प्रार्थी को आवंटित भूमि पर लागू नहीं होते है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय 31.08.2006 को पारित निर्णय में मुख्य आधार राजस्व विभाग के परिपत्र 15.12.2005 कमांक प. 6(6)राज/06/92/23 के आधार पर निर्णय पारित किया है। परंतु विद्वान तहसीलदार ने उपरोक्त परिपत्र को अवलोकन नहीं किया

परिपत्र दिनांक 15.12.2005 के अनुसारः–

1. औद्योगिक या अन्य कृषि अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार भूमि का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है।
2. स्वयं की खातेदार कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जा कर आवंटन
3. राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन।

इस प्रकार संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तन प्रयोजन न किये जाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि में दर्ज करवाया जा सकता है। परंतु राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि आवंटन प्रकरणों में आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है यदि किसी व्यक्ति या कंपनी या किसी जंयूरिस्टक पर्सन को राजकीय सिवाय चक भूमि औधेगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आंवटित की गई है तो जब कभी उक्त ाूमि उस अकृषि उददेश्य हेतु उपयोग नहीं की जावेगी तो वो पुनः राजय सरकार के नाम सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज की जावेगी। अपीलांट की भूमि पर उक्त परिपत्र लागू नहीं होता इसलिए अपीलांट अपनी कृषि भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2006 निरस्त करवाने का अधिकारी है। यह कि रकबा पूर्व में कालोनी क्षेत्र में होने के कारण आवंटन नियम शर्ते 1955 के तहत आवंटन किया गया था राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त रकबा दिनांक 18.10.2007 को कालोनी क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया जिस कारण प्रार्थी की भूमि के आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आ गया और आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन कर के परिपत्र विभागीय अधीसूचना एफ 9(15)रे.वे.6/पार्ट/33 जयपुर दिनांक 21.06.2007 का नियमानुसार हिन्दी रूपांतरण कमांक प.9(15)रे.वे./06/2005 पार्ट 43 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार उक्त नियम में संशोधन कर शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्रों मे आई भूमि का नियमानुसार खातेदारी जारी किये जाने का उक्त परिपत्र जारी किया गया कि नियम 18 का उक्त नियमों के नियम 18 का संशोधन विध्यमान उपनियम(4) निम्नलिखित अतः स्थापित किया जायेगा अर्थात ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90ख में वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या पेराफेरी क्षेत्र के भीतर नहीं थी ततपश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण नगर सुधार न्यास निगम का नगर परिषद ने नगरीय योग्य सीमा या परिधि क्षेत्र में सम्मलित कर ली हो तो खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त क्षेत्र के लिए यथाअवधरित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत राशि संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत किये जायेगें और भूमि के नगर की बोर्ड के नगरीय सीमा या परिसीमा में तत्पश्चात सम्मलित होने की दशा में खातेदारी अधिकार खण्ड आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय स[illegible] भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि का संदाय करने पर खातेदारी [illegible] किये जायेगें। ततपश्चात राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप [illegible] अनुमोदन के जगह उक्त अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर [illegible] परिपत्र के अनुसार जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ही [illegible] ये जा रहे है। यह कि कानून राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

रित्ते जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 95 के तहत मात्र जिला कलक्टर भूमि आरक्षित कर सकते है और धारा 102 के तहत मात्र राज्य सरकार स्थानीय निकाये को भूमि आवंटन कर सकती है इस सम्बंध में आरआरडी 1995 पेज 668 नगरपालिका राजा खेडा बनाम श्री हनुमान जी महाराज से बखूबी साबित है अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर नगरपालिका का नाम कलमजन किया जाकर टीसी बहाल की जाये।

11. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.06.2018 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह साबित है कि अपीलांट जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतय ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश से पूर्व अपीलांट को सुना गया था ततपश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कतई दर्ज नहीं किय कि उसने जैर अपील आदेश की जानकरी ना हो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध 16 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में [illegible] टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार [illegible] को [illegible] किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार [illegible] को शक्ति [illegible] है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिए मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नही हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

12. रेस्पोडेट संख्या 02 की तरफ श्री मदन मांभू अधिवक्ता उपस्थित हुए उन्होने अवगत कराया कि एक्स पार्टी आदेश के खिलाफ अपील पेश नहीं कर सकते है, अपील मियाद गुजरने के बादपेश की गई है। अपील डिक्री की होती है आदेश की कोई अपील नहीं होती है। अतः अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। रकबा खारिज होने के पश्चात वर्तमान में उक्त रकबा नगरपालिका सूरतगढ को स्थानांतरित हो चुका है व रिकार्ड में नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner